कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

//संशोधित आदेश//

दिनांक 30 /08/2018

क्रमांक 1725/289/आउशि/अनु–ब/18 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31.03.18 में शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष स्थापित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1714/289/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 29.08.18 द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष स्थापित की गई थी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31.03.18 से इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक के मध्य 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं मानते हुए उनकी सेवाएं सवैतनिक निरंतर मानी जावें।

संदर्भित आदेश में से "राजपत्र प्रकाशन दिनांक 31.03.18 से इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक के मध्य 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं मानते हुए उनकी सेवाएं सवैतनिक निरंतर मानी जावें" को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। **यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।**

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

30/08/18

(अजीत कुमार)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांकः 1726/223/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 30 /08/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी. सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।

30/08/18

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश